mept Information System for total literacy campaign, vocationalisation of school education, registration of copyrights and monthly expenditure of accounts and voucher level accounts .

Quota of Admission under special Dispensation

1447. SHRI SYED SIBTEY RAZI:

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether some quota of admission in Kendriya Vidyalayas under special dispensation category has been fixed;

(b) if so, the details thereof with number of seats fixed for each category of entitled persons and institutions;

(c) whether Government. propose to review the enhancement of the quota; and

(d) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER FOR HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI ARJUN SINGH): (a) and (b) Yes, Sir. The total number of admissions in all Kendriya Vidyalayas on special dispensation should not exceed 10 per cent of the total admissions of the previous academic year. 50 per cent of these admissions is for the children recommended by Members of Parliament including the members of Consultative Committee. The remaining 50 per cent is for children recommended by the Members of the Board of Governors. Members of the Sangathan, Chairman of the Vidyalaya Management Committee and other sources.

(c) No, Sir.

(d) Dses not arise,

दिल्ली में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अधीन कार्यरत स्वयंसेवी अध्यापक

1448. श्री वीरेन जे० शाह :
डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में सरकार द्वारा प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चलाया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान इस शीर्ष में औसत वार्षिक व्यय कितना रहा है ;

(ग) क्या यह सच है कि प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अधीन कुछ स्वयंसेवी अध्यापकों को मनोनीत किया गया है,

(घ) यदि हां, तो दिसम्बर, 1992 में मनोनीत किए गए ऐसे कुल कितने अध्यापक हैं और क्या उन्हें मानदेय दिया जाता है,

(ङ) यदि हां, तो कितना और यह राशि कब निर्धारित की गई थी, और

(च) क्या सरकार इस राशि को बढ़ाने का विचार रखती है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) भारत सरकार तथा संघ शासित प्रदेश दिल्ली द्वारा इस शीर्ष के अंतर्गत वर्ष 1989-90, 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान किया गया व्यय क्रमश: 193.55 लाख रु. 78.00 लाख रु. तथा 91.62 लाख रु. था ।

(ग) जी. हां ।

(घ) दिसम्बर, 1992 के अंत तक दिल्ली प्रशासन द्वारा 13067 अनुदेश-कों को इस कार्य पर लगाया गया तथा उन्हें

मानदेय प्रदान किया दिल्ली साक्षरता समिति द्वारा 4858 स्वयंसेवी अनुदेशकों को लगाया गया था केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्त-पोषित स्वैच्छिक एजेंसियां पूर्णतः स्वस्वैच्छिक आधार पर कार्य करती हैं।

(ङ) केन्द्रीय सरकारी कार्यक्रम के अंतर्गत कार्य पर लगाए गए अनुदेशों को किसी प्रकार का मानदेय प्रदान नहीं किया जाता। दिल्ली प्रशासन राज्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत 100/रू. प्रति माह प्रति अनुदेशक को प्रदान कर रहा है।

(च) जी, नहीं। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की गई पद्धति के अंतर्गत स्वयंसेवी अनुदेशक पूर्णतः स्वैच्छिक आधार पर कार्य करते हैं।

उत्तर प्रदेश में महाविद्यालयों के लिए स्वीकृत की गई धनराशि

1449 **चौधरी हरमोहन सिंह :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व-विद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई राशि उत्तर प्रदेश में सरकारी महा-विद्यालयों के लिये स्वीकृत की गई धनराशि से कम है जिसके कारण इन महाविद्यालयों के कार्यकरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो महाविद्यालय द्वारा स्वीकृति की गई और दी गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) किन-किन महाविद्यालयों ने आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) विश्व-विद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, अब आयोग ने उत्तर प्रदेश के राजकीय कालेजों सहित पात्र कालेजों के 8वीं योजना के परिव्ययों को अनुमोदित कर दिया है। चूंकि ये परिव्यय संपूर्ण योजना अवधि के लिये होते हैं, अतः निधियों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुये उपयुक्त किश्तों में अनुदान जारी किये जाते हैं। अब संबंधित कालेजों को 8वीं योजना अवधि के लिये पुस्तकों पत्रिकाओं तथा उपस्कर के वास्ते अनु-मोदित परिव्यय के 85 के बराबर पहली किश्त जारी कर दी गई है। इससे पहले संबंधित कालेजों को जारी किए गए अनुदानों के सम्बन्ध में व्यय विवरण तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाने पर और अधिक अनुदान जारी किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त, भवन परियोजनाओं के लिये अनुमोदित परिव्यय के 50% तक अनुदान की पहली किश्त उन कालेजों को भी जारी की गई है जिन्होंने अपने प्लान और प्राक्कलन तथा अन्य संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत कर दिये थे और पूर्व योजना अवधियों में अनुमोदित भवन परियोजनाओं को पूरा कर दिया था।

उत्तर प्रदेश में पात्र कालेजों को संस्वीकृत तथा जारी किये गये अनुदानों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।